इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.io से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114]

भोपाल, शूक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2025—चैत्र 21, शक 1947

## विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक ९ अप्रैल २०२५

फा. क्र. 10—क—चार—निरर्हित—2025—32.— भारत निर्वाचन आयोग के निम्नांकित आदेशों को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :--

- 1. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 76—म.प्र.—वि.स.—58—2024—सी.ई.एम.एस.—III—4700, दिनांक 3 अप्रैल 2025.
- 2. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 76-म.प्र.-वि.स.-58-2024-सी.ई.एम.एस.-III-4703, दिनांक 3 अप्रैल 2025.
- 3. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 76—म.प्र.—वि.स.—65—2024—सी.ई.एम.एस.—III—4706, दिनांक 3 अप्रैल 2025.

राजेश कुमार कौल, सचिव.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001 नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 2025—13 चैत्र, 1947 (शक)

#### आदेश

सं. 76—म.प्र.—वि.स.—58—2024—सी.ई.एम.एस.—III.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना नं. 15— विधि निर्वा.—चार—म.प्र.—वि.स.—2023 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के **58—पवई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्यप्रति होगी; और

यतः, मध्यप्रदेश राज्य के **58-पवई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना की रिपोर्ट दिनांक 05 जनवरी 2024, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल से दिनांक 07 फरवरी 2024 के पत्र सं. 10—क—4—निर्वा.व्यय—निर्देश—2023—24—1032 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्रीमती रजनी यादव जो मध्यप्रदेश राज्य के 58—पवई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (5) के अंतर्गत श्रीमती रजनी यादव को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76—मध्यप्रदेश—वि.स.—58—2024—सी.ई.एम.एस.—III, दिनांक 19 जुलाई 2024 जारी किया गया थाः, और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (6) के अनुसार श्रीमती रजनी यादव को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना से दिनांक 10 फरवरी 2025 के पत्र सं0 96—सामान्य निर्वाचन—2025 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्रीमती रजनी यादव के द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2024 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना ने पत्र सं. 96—सामान्य निर्वाचन—2025, दिनांक 10 फरवरी 2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती रजनी यादव ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्रीमती रजनी यादव ने विधि के अंतर्गत यथा—विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि :--

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख़ से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा."

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती रजनी यादव अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है: और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा घोषणा करता है कि मध्यप्रदेश राज्य के साधारण निर्वाचन, 2023 के **58—पवई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती रजनी यादव, निवासी—बरबसपुरा, ग्राम पाटन, पोस्ट इमलहा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे.

आदेश से, हस्ता. / – **(बिनोद कुमार)** सचिव, *भारत निर्वाचन आयोग*.

#### ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated: 3rd April 2025–13 Chaitra, 1947 (Saka)

#### **ORDER**

No. 76-MP-LA-58-2024-CEMS-III.—Whereas, the General Election to Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2023 for **58- Pawai**Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 15—विधि निर्वा.—चार-म.प्र.—वि.स.—2023, dated 21st October 2023; and

Whereas, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

Whereas, the result of the above-mentioned elections for **58- Pawai** Assembly Constituency of Madhya Pradesh was declared by the Returning Officer on 3<sup>rd</sup> December 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 2<sup>rd</sup> January 2024; and

Whereas, as per the District Election Officer's report dated 5th January 2024 forwarded by the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh, Bhopal vide his letter No. 10—क—4—निर्वा व्यय—निर्देश—2023—24—1032, dated 7th February 2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, Smt. Rajni Yadav, a contesting candidate from 58- Pawai Assembly Constituency of Madhya Pradesh has failed to lodge her account of election expenses, as required under law; and

Whereas, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Panna**, a Show-Cause notice No. सं.76—म.प्र.—वि.स.—58—2024—सी.ई.एम.एस.—III, dated 19<sup>th</sup> July 2024 was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, by the Election Commission of India to **Smt. Rajni Yadav** for not lodging of her account of Election Expenses; and

Whereas, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Rajni Yadav**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Panna within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, the District Election Officer, **Panna**, *vide* his letter No. 96—सामान्य निर्वाचन–2025, dated 10<sup>th</sup> February 2025 it has informed that notice was served to **Smt. Rajni Yadav**, received on 05<sup>th</sup> August 2024; and

Whereas, the District Election Officer, **Panna** in his Supplementary Report, vide its letter No.96—सामान्य निर्वाचन—2025, dated 10<sup>th</sup> February 2025 has reported that **Smt. Rajni Yadav**, has not submitted her account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Smt. Rajni Yadav**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

Whereas, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Smt. Rajni Yadav** has failed to lodge her account of election expenses and has no good reason or Justification for the failure to do so; and

Now, Therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Rajni Yadav** Residence of Barbaspura, Gram Patan, Post Imolha, Tehsil Rajnagar, Jila-Chhatarpur (M.P.), a contesting candidate in **58- Pawai** Assembly Constituency of General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
Sd/(BINOD KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110 001 नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 2025–13 चैत्र, 1947 (शक)

#### आदेश

सं. 76—म.प्र.—वि.स.—58—2024—सी.ई.एम.एस.—III.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना नं. 15— विधि निर्वा.—चार—म.प्र.—वि.स.—2023 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के **58—पवई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्यप्रति होगी; और

यतः, मध्यप्रदेश राज्य के **58—पवई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्ययं लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी 2024 थी; और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना की रिपोर्ट दिनांक 05 जनवरी 2024, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल से दिनांक 07 फरवरी 2024 के पत्र सं. 10—क—4—निर्वा.व्यय—निर्देश—2023—24—1032 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री प्रहलाद कुमार प्रजापित जो मध्यप्रदेश राज्य के 58—पवई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (5) के अंतर्गत श्री प्रहलाद कुमार प्रजापित को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76—मध्यप्रदेश—वि.स.—58—2024—सी.ई.एम.एस.—III, दिनांक 19 जुलाई 2024 जारी किया गया थाः, और

यतः, उपयुक्त कारण बताओं नोटिस के जिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (6) के अनुसार श्री प्रहलाद कुमार प्रजापित को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना से दिनांक 10 फरवरी 2025 के पत्र सं0 96—सामान्य निर्वाचन—2025 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री प्रहलाद कुमार प्रजापित के द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2024 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना ने पत्र सं. 96—सामान्य निर्वाचन—2025 दिनांक 10 फरवरी 2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री प्रहलाद कुमार प्रजापित ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री प्रहलाद कुमार प्रजापित ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि :--

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निरर्हित होगा.

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री प्रहलाद कुमार प्रजापति** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं हैं: और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा घोषणा करता है कि मध्यप्रदेश राज्य के साधारण निर्वाचन, 2023 के 58—पवई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री प्रहलाद कुमार प्रजापति, निवासी—ग्राम शाहनगर, पोस्ट शाहनगर, जिला पन्ना (म.प्र.), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे.

आदेश से, हस्ता. / – **(बिनोद कुमार)** सचिव, *भारत निर्वाचन आयोग.* 

#### ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated: 3rd April 2025-13 Chaitra, 1947 (Saka)

#### **ORDER**

No. 76-MP-LA-58-2024-CEMS-III.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2023 for **58- Pawai** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 15—विधि निर्वा.—चार—म.प्र.—वि.स.—2023, dated 21st October 2023; and

Whereas, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

Whereas, the result of the above-mentioned elections for **58- Pawai** Assembly Constituency of Madhya Pradesh was declared by the Returning Officer on 3<sup>rd</sup> December 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 2<sup>rd</sup> January 2024; and

Whereas, as per the District Election Officer's report dated 5th January 2024 forwarded by the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh, Bhopal *vide* his letter No. 10—क—4—निर्वा.व्यय—निर्देश—2023—24—1032, dated 7th February 2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Prahlad Kumar Prajapati**, a contesting candidate from **58- Pawai** Assembly Constituency of Madhya Pradesh has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

Whereas, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Panna**, a Show-Cause Notice No. सं.76—म.प्र.—वि.स.—58—2024—सी.ई.एम.एस.—III, dated 19th July 2024 was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, by the Election Commission of India to **Prahlad Kumar Prajapati** for not lodging of her account of Election Expenses; and

Whereas, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Prahlad Kumar Prajapati**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Panna** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, the District Election Officer, Panna, vide his letter No. 96—सामान्य निर्वाचन—2025, dated 10th February 2025 it has informed that notice was served to **Sh. Prahlad Kumar Prajapati**, received on 05th August 2024; and

Whereas, the District Election Officer, Panna in his Supplementary Report, vide its letter No.96—सामान्य निर्वाचन—2025, dated 10<sup>th</sup> February 2025 has reported that **Sh. Prahlad Kumar Prajapati**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Prahlad Kumar Prajapati**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

Whereas, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Prahlad Kumar Prajapati** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or Justification for the failure to do so; and

Now Therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Prahlad Kumar Prajapati resident of Gram Shahnagar, Post Shahnagar, Jila-Panna (M.P.), a contesting candidate in **58-Pawai** Assembly Constituency of General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order, Sd/-(BINOD KUMAR) Secretary, Election Commission of India.

### भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 2025-13 चैत्र, 1947 (शक)

#### आदेश

सं. 76—म.प्र.—वि.स.—65—2024—सी.ई.एम.एस.—III.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना नं. 15— विधि निर्वा.—चार—म.प्र.—वि.स.—2023 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के **65—मैहर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख़ से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वांरा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्यप्रति होगी; और

यतः, मध्यप्रदेश राज्य के **65—मैहर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना की रिपोर्ट दिनांक 04 जनवरी 2024, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल से दिनांक 07 फरवरी 2024 के पत्र सं. 10—क—4—निर्वा.व्यय—निर्देश—2023—24—1032 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री चन्द्रप्रकाश पटेल उर्फ छोटू भैया जो मध्यप्रदेश राज्य के 65—मैहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (5) के अंतर्गत श्री चन्द्रप्रकाश पटेल उर्फ छोटू भैया को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76—मध्यप्रदेश—वि.स.—65—2024—सी.ई.एम.एस.—III, दिनांक 19 जुलाई 2024 जारी किया गया थाः, और

यतः, उपयुक्त कारण बताओं नोटिस के जिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (6) के अनुसार श्री चन्द्रप्रकाश पटेल उर्फ छोटू भैया को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सतना** से दिनांक 11 फरवरी 2025 के पत्र सं. 2510—ई.—15—25—निर्वा.—व्यय—2025 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओं नोटिस अभ्यर्थी **श्री चन्द्रप्रकाश पटेल उर्फ छोटू भैया** द्वारा दिए गए पते पर दिनांक 05 अगस्त 2024 को चस्पा किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना ने पत्र सं. 2510—ई.—15—25—निर्वा.—व्यय—2025 दिनांक 11 फरवरी 2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री चन्द्रप्रकाश पटेल उर्फ छोटू भैया ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की चस्पा के उपरांत, श्री चन्द्रप्रकाश पटेल उर्फ छोटू भैया ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम्, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि :--

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा."

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चन्द्रप्रकाश पटेल उर्फ छोटू भैया अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं हैं: और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा घोषणा करता है कि मध्यप्रदेश राज्य के साधारण निर्वाचन, 2023 के 65—मैहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री चन्द्रप्रकाश पटेल उर्फ छोटू भैया निवासी— मु.पो. छोटी जिरयारी, तहसील मैहर, जिला मैहर (म.प्र.), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे.

आदेश से, हस्ता. / – **(बिनोद कुमार)** सचिव, *भारत निर्वाचन आयोग*.

#### **ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated: 3<sup>rd</sup> April 2025–13 Chaitra, 1947 (Saka)

#### **ORDER**

No. 76-MP-LA-65-2024-CEMS-III.—Whereas, the General Election to Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2023 for 65-Maihar Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 15—विधि निर्वा.—चार—म.प्र.—वि.स.—2023, dated 21st October 2023; and

Whereas, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

Whereas, the result of the above-mentioned elections for **65-Maihar** Assembly Constituency of Madhya Pradesh was declared by the Returning Officer on 3<sup>rd</sup> December 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 2<sup>nd</sup> January 2024; and

Whereas, as per the District Election Officer's report dated 4th January 2024 forwarded by the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh, Bhopal *vide* his letter no. 10—क—4—निर्वा व्यय—निर्देश—2023—24—1032, dated 7th February 2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

Sh. Chandraprakash Patel urf Chottu Bhaiya, a contesting candidate from 65-Maihar Assembly Constituency of Madhya Pradesh has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

Whereas, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Satna**, a Show-Cause notice No. सं.76—म.प्र.—वि.स.—65—2024—सी.ई.एम.एस.—III, dated 19<sup>th</sup> July 2024 was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, by the Election Commission of India to **Chandraprakash Patel urf Chottu Bhaiya** for not lodging of his account of Election Expenses; and

Whereas, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Chandraprakash Patel urf Chottu Bhaiya**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Satna** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Satna**, *vide* his letter No. 2510—ई.—15—25—निर्वा.—व्यय—2025, dated 11<sup>th</sup> February 2025 it has informed that notice was pasted at the residence given by the candidate **Sh. Chandraprakash Patel urf Chottu Bhaiya**, pasted on 05<sup>th</sup> August 2024; and

Whereas, the District Election Officer, Satna in his Supplementary Report, vide its letter No. 2510—ई.— 15—25—िनर्वा.—व्यय—2025, dated 11<sup>th</sup> February 2025 has reported that Sh. Chandraprakash Patel urf Chottu Bhaiya, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, at his residence Sh. Chandraprakash Patel urf Chottu Bhaiya, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

Whereas, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Chandraprakash Patel urf Chottu Bhaiya** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or Justification for the failure to do so; and

Now, Therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Chandraprakash Patel urf Chottu Bhaiya** residence of Mu., Post Chhoti Jariyari, Tehsil Maihar, Jila-Maihar (M.P.), a contesting candidate in **65-Maihar** Assembly Constituency of General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
Sd./(BINOD KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.